

प्रेषक,
डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
राज्य परियोजना निदेशक,
एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ११ जनवरी, 2010

विषय:- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/रा०मा०शि०अ०: पद सृजन(11)/72710/2009-10 दिनांक 27 नवम्बर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद" द्वारा संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून व विभिन्न जिला परियोजना कार्यालयों एवं विकास खण्ड परियोजना कार्यालयों में निम्नांकित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों एवं संख्या में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत् नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 31.3.2010 तक के लिए शासनादेश में अंकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राज्य परियोजना कार्यालय (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) देहरादून

| क्रम | पद नाम | वेतनक्रम | ग्रेड पे | पदों की संख्या |
|------|--|----------------|----------|----------------|
| 1 | राज्य परियोजना निदेशक (पदेन निदेशक विद्यालयी शिक्षा) | — | — | 1 |
| 2 | वित्त नियंत्रक (पदेन वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा) | — | — | 1 |
| 3 | अपर राज्य परियोजना निदेशक(प्रतिनियुक्ति) | 37400 67000 | — 8700 | 1 |
| 4 | संयुक्त परियोजना निदेशक (प्रतिनियुक्ति) | 15600-390100 | 7600 | 2 |
| 5 | वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | 15600-39100 | 5400 | 1 |
| 6 | सहायक परियोजना निदेशक (प्रतिनियुक्ति) | 15600-39100 | 5400 | 4 |
| 7 | प्रशासनिक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | 9300-34800 | 4800 | 1 |
| 8 | लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) | 9300-34800 | 4200 | 1 |
| 9 | कम्प्यूटर ऑपरेटर | आउट सोसिंग | — | 3 |
| 10 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | आउट सोसिंग | — | 3 |
| | योग | | | 18 |

53 अक्षर नि.
म. डी. अक्षर
S. अक्षर
11/1/10

(2) जिला परियोजना कार्यालय (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान):-

जनपद स्तर पर राज्य के समस्त 13 जनपदों के जिला परियोजना कार्यालयों (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) हेतु निम्न पदों का सृजन किया जाता है:-

| क्रम | पद नाम | वेतनकम | ग्रेड पे | प्रति जनपद पदों की संख्या | कुल पदों की संख्या |
|------|---|--------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1 | जिला परियोजना अधिकारी (पदेन जिला शिक्षा अधिकारी) | — | — | 1 | 13 |
| 2 | अपर जिला परियोजना अधिकारी (पदेन अपर जिला शिक्षा अधिकारी) (माध्यमिक) | — | — | 1 | 13 |
| 3 | सहायक क्लर्क एवं लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | 9300-34800 | 4800 | 1 | 13 |
| 4 | जिला संचर्न व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति) | 9300-34800 | 4800 | 2 | 26 |
| 5 | लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) | 9300-34800 | 4200 | 1 | 13 |
| 6 | कम्प्यूटर आपरेटर | आउट सोर्सिंग | — | 1 | 13 |
| | योग | | | 7 | 91 |

(3) विकास खण्ड परियोजना कार्यालय (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) विकास खण्ड स्तर पर राज्य के समस्त 95 विकास खण्डों के विकास खण्ड परियोजना कार्यालय (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) के 95 पद सृजित किये जाते हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) होंगे।

| क्रम | पद नाम | वेतनकम | ग्रेड पे | प्रति वि०खण्ड पदों की संख्या | कुल पदों की संख्या |
|------|--|--------|----------|------------------------------|--------------------|
| 1 | विकास खण्ड परियोजना अधिकारी (पदेन खण्ड शिक्षा अधिकारी) | — | — | 1 | 95 |
| | योग | | | 1 | 95 |

2- उपरोक्त सभी पदधारकों (पदेन धारकों को छोड़कर) का वेतन आदि (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) परियोजना से ही आहरित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों द्वारा वेतन के अतिरिक्त नंगवाई भत्ता व नियमानुसार अन्य भत्ते भी अनुमन्त्र होंगे।

3- जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति से अल्पसंख्यक उपलब्ध न हों, उन पदों पर निर्धारित अवधि के लिए अनुमन्त्र कर सविदा पर नियुक्त किये जायेंगे, जिससे परियोजना बन्द होने के उपरान्त राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार न पड़े, सविदा कर्मियों की व्यवस्था आउट सोर्सिंग से की जायेगी।

4- उक्त पद केवल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान परियोजना अवधि के लिए ही सृजित किये जाते हैं।

5- इस संबंध में होने वाला व्यव अनुदान संख्या-11 आयोजनागत के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 800-अन्य व्यव, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं, 0109- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे खता जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 695(P)XXVII(3)09-10 दिनांक 4-1-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(डा० रakesh कुमार)
सचिव।

संख्या (1)/XXIV-2/25(39)2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव-मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव-मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी
- 9- सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 10- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।
- 11- समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बैसिक), उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।
- 12- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।
- 13- वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 14- गार्ड फाईल।

(पी०एल० शाह)
उप सचिव